**न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–961 / 2026**

**इजलसिया देवी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार**

**महुआ थाना कांड सं0–162 / 2026**

**अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।**

Web Copy Not Official

**29.06.2026** महुआ थाना कांड सं0–162 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) में गिरफ़्तारी की आशंका से आवेदकगण **इजलसिया देवी उम्र–55 वर्ष पति–वासुदेव राय, वासुदेव राय उम्र–58 वर्ष पति–स्व0 कैलाश राय उर्फ स्व0 शिवनंदन राय** एवं **उदय कुमार उम्र–20 वर्ष पेसर–वासुदेव राय** सभी साकिन–रूसुलपुर मुबारक, थाना–महुआ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री राकेश कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–07.03.2026 को सूचक अपने दरवाजे पर बैठा था कि अचानक उसके दरवाजे पर गाँव के ही वासुदेव राय, इजलसिया देवी, सूचिता कुमारी, विनिता कुमारी, उदय कुमार एवं अजय कुमार समय 01.00 बजे दिन में उसके दरवाजे पर आकर उसे वेवजह गली–गलौज करने लगे जिसका विरोध करने पर सभी लोग उसके साथ मारपीट किये और मारपीट के दौरान उदय कुमार द्वारा जान मारने के नियत से लोहे के रड उसके सर पर मारकर उसका सर फाड़कर जख्मी कर दिये और बाकी लोग डंडा एवं हसुआ से उसे मार रहे थे। सूचक के गर्दन से सोने का हनुमान जी का लॉकेट विनिता कुमारी छीन ली।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला महुआ थाना कांड सं0–381 / 2026 से बचाने के लिए किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–303(2) एवं 109 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि

**न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–961/2026**

**इजलसिया देवी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार**

लगातार

29.06.2026 आवेदकगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 40 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गली–गलौज कर मारपीट करने, लोहे के रड मारकर उसका सर फाड़ देने एवं उसके गर्दन से सोने का हनुमान जी का लॉकेट छीन लेने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07 एवं 08 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन साक्षी नागेश्वर राय एवं राज नारायण राय द्वारा गर्दन से हनुमान जी का लॉकेट छीन लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 14 से विदित होता है कि आवेदक वासुदेव राय के ससुर स्व0 कैलाश राय का कोई पुत्र नहीं था। वह अपने जीवित रहने पर अपने पट्टीदार को 25 धूर जमीन में 13 धूर जमीन विशाल कुमार (सूचक) के दादा स्व0 बिन्दा राय को लिख दिये थे, परंतु जो 12 धूर जमीन बचा हुआ है उस पर भी विशाल के परिवार के लोग कब्जा किये हुए है। इसी बीच वासुदेव राय (आवेदक) अपने ससुराल में बस गये और 12 धूर जमीन मिन्टु राय से मांगने लगे। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है और उक्त कांड में धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता का समावेश उचित नहीं पाया गया है। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि जख्मी विशाल यादव (सूचक) को चिकित्सक द्वारा उसके ललाट के मध्य भाग पर 1 इंच x ¼ इंच_x हड्डी की गहराई का एक फटा हुआ घाव पाया गया जिसे कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 10 से विदित होता है कि यह मामला महुआ थाना कांड सं0–381/2016 से बचाने के लिए किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा

Web Copy not Official

**न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।**

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–961 / 2026**

**इजलसिया देवी एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार**

लगातार

29.06.2026 प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

**लेखापित**

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy, Not Official